"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना. डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 299] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 29 नवम्बर 2005—अग्रहायण 8, शक 1927

विधि और विधायी कार्य विभाग

रायपुर, दिनांक 28 नवम्बर 2005

अधिसूचना

क्रमांक फा. 1-1/2003/9078/21-ब/05.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 11 की उपधारा (एक) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के परामर्श से विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.1-1/2003/8242/21-ब/05, दिनांक 24-10-05 में निम्नलिखित संशोधन करता है:—

संशोधन

उक्त अधिसूचना की उद्देशिका में,—

अंक "26-11-05" के स्थान पर
अंक "03-12-05" प्रतिस्थापित किया जाये.

Raipur, the 28th November 2005

NOTIFICATION

No. F. 1-1/2003/9078/XXI-B/05.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 11 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974), State Government hereby with consultation of the High Court of Chhattisgarh,

Bilaspur makes the following amendment in the departmental Notification No. F.1-1/2003/8242/XXI-B/05, dated 24-10-05, namely :—

AMENDMENT

In the said preamble of Notification,—

For the "figure 26-11-05" the word and figure
"the date 03-12-05" shall be substituted.

रायपुर, दिनांक 28 नवम्बर 2005

अधिसूचना

क्रमांक फा. 1-1/2003/9080/21-ब/05.—छत्तीसगढ़ व्यवहार प्रक्रिया अधिनियम, 1958 (क्रमांक 19 सन् 1958) की धारा 5 की खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के परामर्श से विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 1-1/2003/8242/21-ब/05, दिनांक 24-10-05 में निम्नलिखित संशोधन करता है :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना की उद्देशिका में,—

अंक "26-11-05" के स्थान पर
अंक "03-12-05" प्रतिस्थापित किया जाये.

Raipur, the 28th November 2005

NOTIFICATION

No. F. 1-1/2003/9080/XXI-B/05.—In exercise of the powers conferred by Clause (b) of Section 5 of the Chhattisgarh Civil Courts Act, 1958 (No. 19 of 1958), State Government hereby with consultation of the High Court of Chhattisgarh, Bilaspur makes the following amendment in the departmental Notification No. F.1-1/2003/8242/XXI-B/05, dated 24-10-05, namely :—

AMENDMENT

In the said preamble of Notification,—

For the word and figure "dated 26-11-05"
the word and figure "the date 03-12-05" shall be substituted.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. पी. शर्मा, प्रमुख सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2005.